न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–अशोकनगर

1– फूल सिंह पुत्र चिन्टूलाल चमार
2– वीर सिंह पुत्र चिन्टूलाल चमार
निवासीगण– ग्राम खिरिया देवत तहसील ईसागढ़, जिला–अशोकनगर (म.प्र.)
.........आवेदकगण

विरूद्ध

1– बब्बू पुत्र उमरौवा चमार
2– खुमना पुत्र उमरौवा चमार
3– कसिया पुत्री उमरौवा चमार
निवासीगण– ग्राम ककरौआ, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)
द्वारा मुख्त्यारआम मांगीलाल पुत्र भूमरा चमार, निवासी– ग्राम खिरिया देवत तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
.... अनावेदकगण

R-3571-III/13

श्री ... 26-9-13 को ...

क्लर्क ऑफ कोर्ट ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार ईसागढ़, जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम खिरिया देवत में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1134 रकवा 0.178 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1182 रकवा 0.119, सर्वे क्रमांक 1185/2 रकवा 0.032, सर्वे क्रमांक 1276 रकवा 1.199 हेक्टेयर भूमि जलमा पुत्र निहाल चमार के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित थी। जलमा का स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद भूमि पर नामान्तरण जलमा की बेवा रतनिया का नामान्तरण हो चुका है।

2– यहकि, (अनावेदकगण की ओर से कहा गया कि) भूमि स्वामी रतनिया का भी स्वर्गवास हो चुका है। रतनिया के मात्र एक पुत्री धनिया थी। धनिया का भी स्वर्गवास हो चुका है। धनिया के वारिस अनावेदकगण है, किन्तु आवेदकगण द्वारा पंचायत सचिव से मिलकर अपना नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित करा लिया गया है, जोकि अवैध है। इसलिये उनका नाम हटाकर अनावेदकगण का नाम भूमि स्वामी स्वत्व मे

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./3571/तीन/13 जिला अशोकनगर

फूल सिंह आदि विरूद्ध बब्बू आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:- 33/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31/08/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	